



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052021-226884
CG-MH-E-06052021-226884

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943

No. 189]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 मई, 2021

(भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड)

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/21.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा खंड (ग) और धारा 12 की उप-धारा (1) तथा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में -

I. विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

i. खंड (ब) के पश्चात् और खंड (भ) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(बक) “स्टार्टअप” से वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) अभिप्रेत है, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा तारीख 19 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 127(अ) में स्टार्टअप के संबंध में या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई ऐसी अन्य नीति में निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करती हो;”

ii. खंड (कक) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(कक) “जोखिम पूँजी उपक्रम” (वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग) से देश की ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो निवेश किए जाने के समय मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हो;”

II. विनियम 11 का उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(2) उप-विनियम (1) में यथा उल्लिखित ऐसे सूचना ज्ञापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरेण्डम) या प्लेसमेंट मैमोरेण्डम के अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी, जैसे आनुकल्पिक निवेश निधि और प्रबंधक के बारे में जानकारी, प्रबंधक के मुख्य निवेश दल की पृष्ठभूमि की जानकारी, किस-किस तरह के निवेशक होंगे, कितनी फीस ली जाएगी और दूसरे कौन-कौन से खर्चे लिए जाने का प्रस्ताव है, आनुकल्पिक निवेश निधि या स्कीम की अवधि कितनी होगी, मोचन (रिडेंप्शन) की शर्तें क्या होंगी या कितना रिडीम किया जा सकेगा, निवेश योजना (निवेश युक्ति / इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी) क्या होगी, जोखिम प्रबंधन के संबंध में क्या-क्या उपाय किए जाएंगे और क्या-क्या मानदंड अपनाए जाएंगे, मुख्य सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) कौन होंगे, आनुकल्पिक निवेश निधि के निर्णयों को मंजूरी प्रदान करने के संबंध में गठित समिति के विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) क्या होंगे, क्या-क्या हित-विरोध हो सकते हैं और उनकी पहचान करने तथा उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, आनुशासनिक मामलों के पिछले ब्यौरे, वे शर्तें आदि क्या होंगी जिनके आधार पर प्रबंधक निवेश संबंधी सेवाएँ प्रदान करेगा, वह किन अन्य मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) से जुड़ा है, आनुकल्पिक निवेश निधि या स्कीम का परिसमापन (को वाइंड-अप) कैसे किया जाएगा और ऐसी कोई अन्य जानकारी भी शामिल होगी जो निवेशक के लिए सोच-समझकर यह निर्णय लेने के लिए जरूरी हो कि क्या आनुकल्पिक निवेश निधि में निवेश करना चाहिए।”

III. विनियम 15 के उप-विनियम (1) में,-

i. खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ग) प्रवर्ग I और II की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ किसी एक इन्वेस्टी कंपनी में, प्रत्यक्ष रूप से या अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करके, निवेशयोग्य निधियों के पञ्जीस प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करेंगी;”

ii. खंड (घ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(घ) प्रवर्ग III की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ किसी एक इन्वेस्टी कंपनी में, प्रत्यक्ष रूप से या अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करके, निवेशयोग्य निधियों के दस प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करेगी;”

iii. खंड (घ) के पश्चात् और खंड (ङ) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(घक) जो आनुकल्पिक निवेश निधियाँ आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करने के लिए निधि दस्तावेजों (फंड डॉक्यूमेंट्स) के तहत प्राधिकृत हों, वे अपनी यूनिटों में पैसा लगाने (अभिदान / सब्सक्रिप्शन करने) का प्रस्ताव (ऑफर) अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों को नहीं करेगी;”

iv. खंड (ङ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ङ) आनुकल्पिक निवेश निधि -

(क) सहयोगियों (सहयुक्तों / असोसिएट्स) में; या

(ख) अपने प्रबंधक (मैनेजर), प्रायोजक (स्पॉन्सर) अथवा अपने प्रबंधक या प्रायोजक के सहयोगियों (सहयुक्तों / असोसिएट्स) द्वारा प्रबंधित या प्रायोजित आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में,

निवेश, पचहत्तर प्रतिशत निवेशकों (उनके द्वारा आनुकल्पिक निवेश निधि में किए गए निवेश के मूल्य के अनुसार) की मंजूरी के बिना, नहीं करेगी;”

IV. विनियम 16 के उप-विनियम (1) में,

i. खंड (क) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(क) प्रवर्ग I की आनुकल्पिक निवेश निधि इन्वेस्टी कंपनियों, जोखिम पूँजी उपक्रमों (वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग), विशेष प्रयोजन माध्यमों (स्पेशल पर्पस वीहिकल), सीमित दायित्व भागीदारियों (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) में या उसी उप-प्रवर्ग की प्रवर्ग I की अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करेगी;”

ii. खंड (ख) का लोप हो जाएगा ।

V. विनियम 17 में,

i. खंड (क) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(क) प्रवर्ग II की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ इन्वेस्टी कंपनियों में अथवा प्रवर्ग I की आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में या प्रवर्ग II की अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करेगी, जैसा प्लेसमेंट मैमोरैन्डम में प्रकट (डिस्क्लोज) किया जाए;

स्पष्टीकरण- प्रवर्ग II की आनुकल्पिक निवेश निधि मुख्य रूप से असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनियों में, प्रत्यक्ष रूप से या अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करके, निवेश करेगी;”

ii. खंड (ख) का लोप हो जाएगा ।

VI. विनियम 18 में,

i. खंड (क) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(क) प्रवर्ग III की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) या असूचीगत (अनलिस्टिड) इन्वेस्टी कंपनियों की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़), व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्ज़), अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों अथवा जटिल (कॉम्प्लेक्स) या स्ट्रक्चर्ड उत्पादों (प्रोडक्ट्स) में निवेश कर सकेंगी;”

ii. खंड (ख) का लोप हो जाएगा।

VII. विनियम 19च के उप-विनियम (1) में,

i. शब्द “जोखिम पूँजी उपक्रमों”, शब्द “स्टार्टअप” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ii. खंड (क) और (ख) का लोप हो जाएगा।

VIII. विनियम 20 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“20. (1) आनुकल्पिक निवेश निधि, आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनेजमेंट पर्सोनल), यथास्थिति आनुकल्पिक निवेश निधि का न्यासी (ट्रस्टी), उसकी न्यासी कंपनी, उसकी न्यासी कंपनी के निदेशक, उसके अभिहित भागीदार (ड्रेसिग्रेटेड पार्टनर) या निदेशक, प्रबंधक और प्रबंधकों के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति चौथी अनुसूची में दी हुई आचार संहिता का पालन करेंगे।

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों” का वही अर्थ होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(2) आनुकल्पिक निवेश निधि का प्रबंधक और आनुकल्पिक निवेश निधि का, यथास्थिति, या तो न्यासी (ट्रस्टी) या उसकी न्यासी कंपनी (ट्रस्टी कंपनी) या उसका निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या उसके अभिहित भागीदार (ड्रेसिग्रेटेड पार्टनर) यह सुनिश्चित करेंगे कि आनुकल्पिक निवेश निधि द्वारा चौथी अनुसूची में दी हुई आचार संहिता का पालन किया जा रहा है।

(3) सभी आनुकल्पिक निवेश निधियाँ विस्तृत नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करेंगी, जिन्हें संयुक्त रूप से आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रबंधक और आनुकल्पिक निवेश निधि के, यथास्थिति, न्यासी (ट्रस्टी) या उसकी न्यासी कंपनी (ट्रस्टी कंपनी) या उसके निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या उसके अभिहित भागीदारों (ड्रेसिग्रेटेड पार्टनर) द्वारा मंजूरी दी गई हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आनुकल्पिक निवेश निधि द्वारा सभी निर्णय इन विनियमों के प्रावधानों, प्लेसमेंट मैमोरैन्डम की शर्तों आदि, निवेशकों के साथ किए गए करारों (एग्रीमेंट), अन्य निधि दस्तावेजों (फंड डॉक्यूमेंट्स) और लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए लिए जा रहे हैं।

(4) सभी आनुकल्पिक निवेश निधियाँ, नियमित आधार पर या कारोबारी गतिविधियों (बिजनेस डेवलपमेंट्स) के संबंध में कोई बदलाव होने पर, इस विनियम के उप-विनियम (3) के अनुसार निर्धारित की गई नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेंगी, अन्य आंतरिक नीतियों (यदि कोई हों) की समीक्षा करेंगी, और साथ ही इस बात की भी समीक्षा करेंगी कि उन्हें अमल में लाया जा रहा है, ताकि उनकी उपयुक्तता निरंतर सुनिश्चित हो सके।

(5) प्रबंधक आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रत्येक निर्णय के लिए जिम्मेदार होगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा कि निर्णय इन विनियमों के प्रावधानों, प्लेसमेंट मैमोरैन्डम की शर्तों आदि,

निवेशकों के साथ किए गए करारों (एग्रीमेंट), अन्य निधि दस्तावेजों (फंड डॉक्यूमेंट) और लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए लिए जा रहे हैं।

(6) प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि आनुकल्पिक निवेश निधि द्वारा प्रत्येक निर्णय इस विनियम के उप-विनियम (3) के अनुसार आनुकल्पिक निवेश निधि के लिए निर्धारित की गई नीतियों और प्रक्रियाओं तथा आनुकल्पिक निवेश निधि की अन्य आंतरिक नीतियों, जो लागू हो, का पालन करते हुए लिया जा रहा है।

(7) प्रबंधक आनुकल्पिक निवेश निधि के निर्णयों को मंजूरी प्रदान करने के लिए एक निवेश समिति (फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) गठित कर सकेगा, और इस प्रकार समिति का गठन उन शर्तों के अध्यक्षीन होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।

(8) निवेश समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निवेश समिति द्वारा निर्णय इस विनियम के उप-विनियम (3) के अनुसार निर्धारित की गई नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लिए जा रहे हैं:

परंतु यह कि इस विनियम का उप-विनियम (8) ऐसी आनुकल्पिक निवेश निधि पर लागू नहीं होगा, जिसमें आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रबंधक (मैनेजर), प्रायोजक (स्पॉन्सर), कर्मचारियों या निदेशकों अथवा प्रबंधक के कर्मचारियों या निदेशकों से भिन्न प्रत्येक निवेशक ने कम से कम सत्तर करोड़ रुपये [या भारतीय रुपये से भिन्न किसी मुद्रा (करेंसी) में इतने के बराबर की रकम] का निवेश करने का वादा किया हो, और जिसने आनुकल्पिक निवेश निधि को उक्त उप-विनियम के पालन के संबंध में झूट संबंधी दस्तावेज (वेवर) उसी प्रकार प्रस्तुत किया हो जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(9) निवेश समिति के सदस्य चौथी अनुसूची में दी हुई आचार संहिता (जो उन पर लागू हो) का पालन करेंगे।

(10) निवेश समिति के जिन बाहरी सदस्यों के नाम, निवेशक बनाते समय, प्लेसमेंट मैमोरैंडम में या निवेशक के साथ किए गए करार या किन्हीं अन्य निधि दस्तावेजों (फंड डॉक्यूमेंट) में प्रकट (डिस्क्लोज़) न किए गए हों, उनकी नियुक्ति निवेश समिति में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत निवेशकों (उनके द्वारा आनुकल्पिक निवेश निधि या स्कीम में किए गए निवेश के मूल्य के अनुसार) की सहमति से ही की जाएगी।

(11) यदि आनुकल्पिक निवेश निधि का कॉर्पस पाँच सौ करोड़ रुपये से अधिक हो, तो आनुकल्पिक निवेश निधि का प्रायोजक या प्रबंधक प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सुरक्षित रखने के लिए बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत अभिरक्षक (कस्टोडियन) को नियुक्त करेगा:

परंतु यह कि प्रवर्ग-III की आनुकल्पिक निवेश निधि का प्रायोजक या प्रबंधक ऐसे अभिरक्षक (कस्टोडियन) को नियुक्त करेगा, फिर भले ही आनुकल्पिक निवेश निधि के कॉर्पस का आकार कितना भी हो:

परंतु यह और कि प्रवर्ग- III की आनुकल्पिक निवेश निधि द्वारा नियुक्त किया गया अभिरक्षक (कस्टोडियन) कमोडिटी डेरिवेटिव्स के वास्तविक निपटान (फिज़िकल सेटलमेंट) की बाबत की जाने वाली सुपुर्दगी (डिलिवरी) में प्राप्त प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) और वस्तुओं को अपनी अभिरक्षा (कस्टडी) में रखेगा।

(12) सभी आनुकल्पिक निवेश निधियाँ प्रायोजक, प्रबंधक या अभिहित भागीदारों (डेसिग्रेटेड पार्टनर) में कोई परिवर्तन होने पर या आनुकल्पिक निवेश निधि द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय दी गई जानकारी में कोई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव होने पर बोर्ड को सूचित करेगी।

(13) आनुकल्पिक निवेश निधि, प्रायोजक या प्रबंधक के नियंत्रण में परिवर्तन होने पर, आनुकल्पिक निवेश निधि द्वारा बोर्ड से पूर्व मंजूरी ली जाएगी।

(14) आनुकल्पिक निवेश निधि की लेखा बहियों की लेखापरीक्षा (का ऑडिट) अर्हित लेखापरीक्षक (क्वालिफाइड ऑडिटर) द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी।"

IX. तीसरी अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

"चौथी अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012

[विनियम 20(1) एवं 20(9)]

(1) आनुकल्पिक निवेश निधियों के लिए आचार संहिता

आनुकल्पिक निवेश निधि:

- (क) प्लेसमेंट मैमोरैन्डम और अन्य निधि दस्तावेजों (फंड डॉक्यूमेंट) में दिए गए निवेश के उद्देश्यों के अनुसार अपनी कारोबारी गतिविधियाँ करेगी और निवेश करेगी।
- (ख) का संचालन और प्रबंधन केवल प्रायोजक (स्पाँसर), प्रबंधक, प्रायोजक और प्रबंधक के निदेशकों या भागीदारों अथवा चुनिंदा वर्ग के निवेशकों के हित में ही नहीं, बल्कि सभी निवेशकों के हित में किया जाएगा।
- (ग) यह सुनिश्चित करेगी कि सभी निवेशकों को इन विनियमों के अनुसार पर्याप्त रूप से, सही-सही, स्पष्ट रूप से और समय पर जानकारी दी जाए।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी कोई अन्य जानकारी भी प्रदान की जाए, जैसा निवेशकों के साथ तय हुआ हो।
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगी कि जोखिम प्रबंधन की कारगर प्रक्रिया हो और उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण हों।
- (च) अपने समस्त कामकाज में हो सकने वाले हित-विरोध की पहचान करने, उन पर नज़र रखने और सही ढंग से उनमें कमी लाने के संबंध में लिखित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगी।
- (छ) अपनी यूनिटें बेचने आदि के लिए या किसी निवेशक को यूनिटें खरीदने हेतु उकसाने के लिए कोई अनैतिक तौर-तरीके नहीं अपनाएगी।
- (ज) काले धन को वैध बनाने (धन शोधन निवारण) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन करने के संबंध में लिखित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगी।

(2) आनुकल्पिक निवेश निधियों के प्रबंधकों और प्रबंधकों तथा आनुकल्पिक निवेश निधियों के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों के लिए आचार संहिता

आनुकल्पिक निवेश निधियों का प्रत्येक प्रबंधक और प्रबंधक तथा आनुकल्पिक निवेश निधियों के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति:

- (क) अधिनियम (एक्ट), नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) और परिपत्रों (सर्कुलर्स), जो भी आनुकल्पिक निवेश निधियों पर लागू हों, का हर समय पालन करेंगे ;

- (ख) अपने सभी कार्यों आदि (डीलिंग) में सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे और अपने सभी कार्य आदि पूरी नैतिकता के साथ तथा पेशेवर की हैसियत से बेहतरीन ढंग से करेंगे;
- (ग) अपने सभी निर्णय लेते समय पूरी सावधानी बरतेंगे, पूरी तत्परता बरतेंगे और स्वतंत्र रूप से एवं पेशेवर ढंग से निर्णय लेंगे;
- (घ) आनुकल्पिक निवेश निधि के निवेशकों के प्रति वैश्वासीक हैसियत से कार्य करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्णय निवेशकों के हित में लिए जाएं;
- (ङ) अपने कारोबार के दायरे में हो सकने वाले हित-विरोध की पहचान करने, उन पर नज़र रखने और सही ढंग से उनमें कमी लाने के संबंध में आनुकल्पिक निवेश निधि की नीतियों का पालन करेंगे;
- (च) या तो अपनी योग्यताओं (अर्हताओं) के बारे में या निवेश प्रबंधन (इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने की अपनी क्षमता के बारे में या अपनी उपलब्धियों के बारे में, चाहे मौखिक रूप में या लिखित रूप में, कोई भ्रामक या गलत बयान नहीं देंगे;
- (छ) निवेश करने के संबंध में लिए गए निर्णयों, बिक्री (डाइवेस्टमेंट) करने के संबंध में लिए गए निर्णयों और अन्य मुख्य निर्णयों (उनके औचित्य सहित) को लिखित में रिकॉर्ड करेंगे;
- (ज) सही-सही और पूरी-पूरी जानकारी आदि (इनपुट्स) [जो पोर्टफोलियो का सही मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकक (वैल्यूअर) द्वारा मांगी जाए] प्रदान करेंगे, जो भ्रामक न हो;
- (झ) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की बिक्री या खरीद के ऐसे कोई इंतजाम नहीं करेंगे, जहाँ फायदाप्रद हित (बेनिफिशियल इंटरैस्ट) में सही मायने में कोई बदलाव न हो रहा हो या जहाँ फायदाप्रद हित (बेनिफिशियल इंटरैस्ट) का अंतरण (ट्रांसफर) उन्हीं पक्षकारों (पार्टीज़) के बीच ही हो रहा हो जो या तो सामान्य मति से या फिर मिलीभगत से कार्य कर रहे हों, हालाँकि, ऐसा जायज़ और विधिसम्मत कारणों से किया जा सकेगा।
- (ञ) गोपनीयता के संबंध में निवेशकों के साथ किए गए करारों का पालन करेंगे तथा निवेशकों के निजी निवेश के ब्यौरों और / या निवेशकों की अन्य जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे ;
- (ट) निवेशकों के पैसों (निधियों / फंड) के प्रबंधन के कामकाज आदि के संबंध में न तो कोई प्रलोभन देंगे और न ही कोई प्रलोभन स्वीकार करेंगे;
- (ठ) आनुकल्पिक निवेश निधि के रिकॉर्ड के अनुसार जो प्रतिपक्षकार (काउंटरपार्टीज़) हों, उनके साथ सौदे (डील) करते समय जो भी जरूरी सूचनाएँ आदि भेजी जाएं और जो भी समझौते किए जाएं उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा, यदि उन्होंने आनुकल्पिक निवेश निधि की ओर से लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) करने का वादा किया हो;
- (ड) हर समय नैतिकता के साथ कार्य करेंगे और इन्वेस्टी कंपनियों के साथ निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी से व्यवहार करेंगे; और
- (ढ) इन्वेस्टी कंपनियों और आनुकल्पिक निवेश निधि से निवेश करने की मांग करने वाली कंपनियों से प्राप्त जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे, जब तक कि स्पष्ट रूप से यह पुष्टि न कर दी जाए कि ऐसी जानकारी किसी नॉन-डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट के दायरे में नहीं आती।

(3) आनुकल्पिक निवेश निधि की निवेश समिति के सदस्यों, आनुकल्पिक निवेश निधि के न्यासी (ट्रस्टी), उसकी न्यासी कंपनी (ट्रस्टी कंपनी), उसकी न्यासी कंपनी के निदेशकों, उसके निदेशकों या अभिहित भागीदारों (डेसिग्रेटेड पार्टनर्स) के लिए आचार संहिता

आनुकल्पिक निवेश निधि की निवेश समिति के सदस्य, आनुकल्पिक निवेश निधि का न्यासी (ट्रस्टी), उसकी न्यासी कंपनी (ट्रस्टी कंपनी), उसकी न्यासी कंपनी के निदेशक, उसके निदेशक या अभिहित भागीदार (डेसिग्रेटेड पार्टनर्स):

- (क) सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे और पूरी नैतिकता के साथ तथा पेशेवर की हैसियत से बेहतरीन ढंग से कार्य आदि करेंगे;
- (ख) अपनी भूमिकाओं को निभाते समय पूरी सावधानी बरतेंगे, पूरी तत्परता बरतेंगे और स्वतंत्र रूप से एवं पेशेवर ढंग से निर्णय लेंगे;
- (ग) यदि किसी निर्णय / सभी निर्णयों को लेकर कोई हित-विरोध हो, तो उसके ब्यौरे समय रहते आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रबंधक (मैनेजर) को प्रकट (डिस्कलोज़) करेंगे, किसी हित-विरोध के संबंध में आनुकल्पिक निवेश निधि की नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, और जहाँ कहीं भी जरूरी हो वहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे;
- (घ) आनुकल्पिक निवेश निधि, उसके निवेशकों और इन्वेस्टी कंपनियों के संबंध में प्राप्त जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे; जब तक कि स्पष्ट रूप से यह पुष्टि न कर दी जाए ऐसी जानकारी किसी नॉन-डिस्कलोज़र एग्रीमेंट के दायरे में नहीं आती;
- (ङ) किसी अनैतिक कार्य आदि में लिप्त नहीं होंगे या पेशेवर की हैसियत से ऐसा कोई गलत कार्य आदि नहीं करेंगे या ऐसे किसी कार्य आदि (चाहे कुछ करके या कुछ न करके) में लिप्त नहीं होंगे, जो घोर उपेक्षा करने या धोखाधड़ी करने जैसा हो।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./54/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्, -
 - (1) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/24/6573, द्वारा
 - (2) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - (3) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
 - (4) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा

- (5) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
- (6) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
- (7) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा
- (8) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
- (9) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (10) 19 अक्टूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा
- (11) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th May, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012-

I In sub-regulation (1) of regulation 2,

- i. after clause (w) and before clause (x), the following clause shall be inserted, namely, –

“(wa) “startup” means a private limited company or a limited liability partnership which fulfills the criteria for startup as specified by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, vide notification No. G.S.R. 127(E) dated February 19, 2019 or such other policy of the Central Government issued in this regard from time to time;”

- ii. clause (aa) shall be substituted with the following, namely, –

“(aa) “venture capital undertaking” means a domestic company which is not listed on a recognised stock exchange at the time of making investments;”

- II In sub-regulation (2) of regulation 11, after the words and symbol “*key service providers,*” and before the words “*conflict of interest*”, the words and symbol “*terms of reference of the committee constituted for approving the decisions of the Alternative Investment Fund,*” shall be inserted.
- III In sub-regulation (1) of regulation 15, –
- i. clause (c) shall be substituted with the following, namely, –
“*(c) Category I and II of Alternative Investment Funds shall invest not more than twenty five per cent of the investable funds in an Investee Company directly or through investment in the units of other Alternative Investment Funds;*”
 - ii. clause (d) shall be substituted with the following, namely, –
“*(d) Category III of Alternative Investment Funds shall invest not more than ten per cent of the investable funds in an Investee Company directly or through investment in units of other Alternative Investment Funds;*”
 - iii. after clause (d) and before clause (e), the following clause shall be inserted, namely, –
“*(da) Alternative Investment Funds which are authorised under the fund documents to invest in units of Alternative Investment Funds shall not offer their units for subscription to other Alternative Investment Funds;*”
 - iv. clause (e) shall be substituted with the following, namely, –
“*(e) Alternative Investment Fund shall not invest except with the approval of seventy five percent of investors by value of their investment in the Alternative Investment Fund in -*
(a) associates; or
(b) units of Alternative Investment Funds managed or sponsored by its Manager, Sponsor or associates of its Manager or Sponsor;”
- IV In sub-regulation (1) of regulation 16,
- i. clause (a) shall be substituted with the following clause, namely, –
“*(a) Category I Alternative Investment Fund shall invest in investee companies, venture capital undertakings, special purpose vehicles, limited liability partnerships or in units of other Category I Alternative Investment Funds of the same sub category;*”
 - ii. Clause (b) shall be omitted.
- V In regulation 17,
- i. clause (a) shall be substituted with the following clause, namely, –
“*(a) Category II Alternative Investment Funds shall invest in investee companies or in the units of Category I or other Category II Alternative Investment Funds as may be disclosed in the placement memorandum;*
Explanation.– Category II Alternative Investment Fund shall invest primarily in unlisted companies directly or through investment in units of other Alternative Investment Funds;”
 - ii. clause (b) shall be omitted.
- VI In regulation 18,
- i. clause (a) shall be substituted with the following clause, namely, –
“*(a) Category III Alternative Investment Funds may invest in securities of listed or unlisted investee companies, derivatives, units of other Alternative Investment Funds or complex or structured products;*”
 - ii. clause (b) shall be omitted.
- VII sub-regulation (1) of regulation 19F,
- i. the words “*venture capital undertakings*” shall be substituted with the word “*startups*”.
 - ii. clauses (a) and (b) shall be omitted.
- VIII Regulation 20 shall be substituted with the following, namely, –

“20 (1) *Alternative Investment Fund, key management personnel of the Alternative Investment Fund, trustee, trustee company, directors of the trustee company, designated partners or directors of the Alternative Investment Fund, as the case may be, managers and key management personnel of managers shall abide by the Code of Conduct as specified in the Fourth Schedule.*

Explanation.— *For the purpose of this sub-regulation, ‘key management personnel’ shall have the meaning as specified by the Board from time to time.*

(2) *The Manager and either the trustee or trustee company or the Board of Directors or the designated partners of the Alternative Investment Fund, as the case may be, shall ensure compliance by the Alternative Investment Fund with the Code of Conduct as specified in the Fourth Schedule.*

(3) *All Alternative Investment Funds shall have detailed policies and procedures, as approved jointly by the Manager and the trustee or trustee company or Board of Directors or designated partners of the Alternative Investment Fund, as the case may be, to ensure that all the decisions of the Alternative Investment Fund are in compliance with the provisions of these regulations, terms of the placement memorandum, agreements made with investors, other fund documents and applicable laws.*

(4) *All Alternative Investment Funds shall review the policies and procedures laid down in terms of sub regulation (3) of this regulation, other internal policies, if any, and their implementation, on a regular basis or as a result of business developments, to ensure their continued appropriateness.*

(5) *The Manager shall be responsible for every decision of the Alternative Investment Fund, including ensuring that the decisions are in compliance with the provisions of these regulations, terms of the placement memorandum, agreements made with investors, other fund documents and applicable laws.*

(6) *The Manager shall be responsible for ensuring that every decision of the Alternative Investment Fund is in compliance with the policies and procedures laid down for the Alternative Investment Fund in terms of sub regulation (3) of this regulation and other internal policies of the Alternative Investment Fund, as applicable.*

(7) *The Manager may constitute an Investment Committee (by whatever name called), to approve the decisions of the Alternative Investment Fund and such constitution shall be subject to such conditions as specified by the Board from time to time.*

(8) *The members of the Investment Committee shall be responsible for ensuring that the decisions of the Investment Committee are in compliance with the policies and procedures laid down in terms of sub regulation (3) of this regulation:*

Provided that sub-regulation (8) of this regulation shall not apply to an Alternative Investment Fund in which each investor other than the Manager, Sponsor, employees or directors of the Alternative Investment Fund or employees or directors of the Manager, has committed to invest not less than seventy crore rupees (or an equivalent amount in currency other than Indian rupees) and has furnished a waiver to the Alternative Investment Fund in respect of compliance with the said sub-regulation, in the manner as may be specified by the Board.

(9) *The members of the Investment Committee shall abide by the Code of Conduct applicable to them as specified in Fourth Schedule.*

(10) *The external members of the Investment Committee whose names are not disclosed in the placement memorandum or in the agreement made with the investor or any other fund document at the time of on-boarding investors shall be appointed to the Investment Committee only with the consent of at least seventy five percent of the investors by the value of their investment in the Alternative Investment Fund or scheme.*

(11) *The Sponsor or Manager of the Alternative Investment Fund shall appoint a custodian registered with the Board for safekeeping of the securities if the corpus of the Alternative Investment Fund is more than five hundred crore rupees:*

Provided that the Sponsor or Manager of a Category III Alternative Investment Fund shall appoint such a custodian, irrespective of the size of the corpus of the Alternative Investment Fund:

Provided further that the custodian appointed by Category III Alternative Investment Fund shall keep the custody of the securities and goods received in delivery against the physical settlement of commodity derivatives.

(12) All Alternative Investment Funds shall inform the Board in case of any change in the Sponsor, Manager or designated partners or any other material change from the information provided by the Alternative Investment Fund at the time of application for registration.

(13) In case of change in control of the Alternative Investment Fund, Sponsor or Manager, prior approval from the Board shall be taken by the Alternative Investment Fund.

(14) The books of accounts of the Alternative Investment Fund shall be audited annually by a qualified auditor.”

IX After the Third Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely, –

“Fourth Schedule

SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012

[Regulation 20(1) and 20(9)]

(1) Code of Conduct for Alternative Investment Funds

An Alternative Investment Fund shall:

- (a) carry out its business activities and invest in accordance with the investment objectives stated in the placement memorandum and other fund documents.
- (b) be operated and managed in the interest of all investors and not only in the interest of the sponsor, manager, directors or partners of the sponsor and manager or a select class of investors.
- (c) ensure the dissemination of adequate, accurate, explicit and timely information in accordance with these Regulations to all investors.
- (d) ensure the dissemination of any other information as agreed with the investors.
- (e) ensure that an effective risk management process and appropriate internal controls are in place.
- (f) have written policies and procedures to identify, monitor and appropriately mitigate any potential conflict of interest through-out the scope of its business.
- (g) not use any unethical means to sell, market or induce any investor to buy its units.
- (h) have written policies and procedures to comply with anti-money laundering laws.

(2) Code of Conduct for the Managers of Alternative Investment Funds and key management personnel of Managers and Alternative Investment Funds

Every Manager of Alternative Investment Funds and key management personnel of the manager and Alternative Investment Funds shall:

- (a) abide by the Act, Rules, Regulations, Guidelines and Circulars as applicable to Alternative Investment Funds at all times;
- (b) maintain integrity, highest ethical and professional standards in all its dealings;
- (c) ensure proper care and exercise due diligence and independent professional judgment in all its decisions;
- (d) act in a fiduciary capacity towards investors of the Alternative Investment Fund and ensure that decisions are taken in the interest of the investors;
- (e) abide by the policies of the Alternative Investment Fund to identify, monitor and appropriately mitigate any potential conflict of interest throughout the scope of its business;
- (f) not make any misleading or inaccurate statement, whether oral or written, either about their qualifications or capability to render investment management services or their achievements;
- (g) record in writing, the investment, divestment and other key decisions, together with appropriate justification for such decisions;

- (h) *provide appropriate and well considered inputs, which are not misleading, as required by the valuer to carry out appropriate valuation of the portfolio;*
- (i) *not enter into arrangements for sale or purchase of securities, where there is no effective change in beneficial interest or where the transfer of beneficial interest is only between parties who are acting in concert or collusion, other than for bona fide and legally valid reasons;*
- (j) *abide by confidentiality agreements with the investors and not make improper use of the details of personal investments and/or other information of investors;*
- (k) *not offer or accept any inducement in connection with the affairs of or business of managing the funds of investors;*
- (l) *document all relevant correspondence and understanding during a deal with counterparties as per the records of the Alternative Investment Fund, if they have committed to the transactions on behalf of Alternative Investment Fund;*
- (m) *maintain ethical standards of conduct and deal fairly and honestly with investee companies at all times; and*
- (n) *maintain confidentiality of information received from investee companies and companies seeking investments from Alternative Investment Fund, unless explicit confirmation is received that such information is not subject to any non-disclosure agreement.*

(3) Code of Conduct for members of the Investment Committee, trustee, trustee company, directors of the trustee company, directors or designated partners of the Alternative Investment Fund

Members of the Investment Committee, trustee, trustee company, directors of the trustee company, directors or designated partners of the Alternative Investment Fund shall:

- (a) *maintain integrity and the highest ethical and professional standards of conduct;*
- (b) *ensure proper care and exercise due diligence and independent professional judgment in carrying out their roles;*
- (c) *disclose details of any conflict of interest relating to any/all decisions in a timely manner to the Manager of the Alternative Investment Fund, adhere with the policies and procedures of the Alternative Investment Fund with respect to any conflict of interest and wherever necessary, recuse themselves from the decision making process;*
- (d) *maintain confidentiality of information received regarding the Alternative Investment Fund, its investors and investee companies; unless explicit confirmation is received that such information is not subject to any non-disclosure agreement.*
- (e) *not indulge in any unethical practice or professional misconduct or any act, whether by omission or commission, which tantamount to gross negligence or fraud.*

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./54/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –

- (1) 16th September, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
- (2) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (3) 26th September, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
- (4) 14th August, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
- (5) 4th January, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
- (6) 6th March, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
- (7) 1st June, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
- (8) 10th May, 2019 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
- (9) On 17 April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (10) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
- (11) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.